न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिंह रतनू, आरएएस.

अनवान :— विविध प्रकरण संख्या 28 / 2021

संदीप सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह, जाति कम्बोज सिख, आयु 27 वर्ष, निवासी चक 3 जे बड़ा, कालिया, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. हरनेक सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी चक 3 जे बड़ा, कालिया, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री सुभाष मिढढा प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध दिनांक 24.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक :— 16.03.2021

—:: आदेश ::—

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के पिता हरनेक सिंह को पूर्वजों से प्राप्त कृषि भूमि चाके चक 3 जे बड़ा तहसील गंगानगर के मुरब्बा नं. 23 का किला नं 1 ता 5 प्राप्त है, जिसका राजस्व रिकार्ड में प्रष्ठांकन सहिस्सेदारों के साथ है। यह कि उक्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता सो प्रार्थी का 1/4 हिस्सा जन्म से ही है परन्तु अप्रार्थी जिसने की 2 शादीयों की उसका स्नेह व प्यार दूसरी पत्नी हरजीन्द्र कौर व उसके बेटे रणजीत सिंह से होने के कारणं उक्त भूमि को विक्रय कर तमाम हिस्सा की राशि उन्हें देना चाहता है, जिस सम्बंध में प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी ने अपने हिस्से की मांग की जिस पर अप्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार हुआ। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में जन्म से ही 1/4 हिस्सा बनता है इस कारण प्रथम दृष्टया मांमला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है, अगर अप्रार्थी उक्त भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी अपने हक व हिस्सा से वंचित हो जावेगा, जिस कारण प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि वाद निस्तारण में काफी समय लगेगा इस कारण अप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये ताफैसला वाद अप्रार्थी को उक्त भूमि चक 3 जे बड़ा तहसील गंगानगर के मुरब्बा नं. 23 किला नं. 1 से 5 को रहन बैय आदि करने से रोके जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के सम्मन पर विधिवत तामील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

होने एवं अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 24.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लग सकता है एवं वादग्रस्त भूमि के खुर्दबुर्द होने से मूल वाद का कोई औचित्य शेष नहीं रह जायेगा। अतः न्यायिक दृष्टि से मूल वाद के निस्तरण तक वादग्रस्त भूमि पर स्थगन जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर भूमि चक 3 जे बड़ा तहसील गंगानगर के खाता संख्या 11/8 के मुरब्बा नं. 23 में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा तक स्थगन इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्सा की भूमि को अन्यत्र रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे, रिकार्ड व मौका की यथास्थिती मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 23/2021 बअनवान संदीप सिंह बनाम हरनेकसिंह रहे।

आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर